

## छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित

ए.25, व्ही.आई.पी. इस्टेट, शंकर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

दूरभाष : 0771-4065100, 4065101, 4065102 फ़ैक्स 2283594

वेब साईट - [www.cgmfpfed.org](http://www.cgmfpfed.org) ई-मेल - [fed\\_raipur@cgmfpfed.org](mailto:fed_raipur@cgmfpfed.org)

### छत्तीसगढ़ के लाख व्यापारी/विनिर्माता/निर्यातक के पंजीयन हेतु सूचना दिनांक 19.08.2009

छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज बहुतायत में उपलब्ध है। राज्य की वननीति में लघु वनोपज के सतत उत्पादन, विनाश विहीन विदोहन, प्रसंस्करण एवं विपणन को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। लाख छत्तीसगढ़ में बहुतायत में पाये जाने वाली एक अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज है। राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा लाख पालन एवं प्राथमिक प्रसंस्करण को बढ़ावा देने हेतु राज्य में कई परियोजनाएँ संचालित की जा रही हैं। संघ के प्रयासों के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य, लाख उत्पादन के क्षेत्र में सम्पूर्ण भारत वर्ष में विगत 3 वर्षों से प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2007-08 में छत्तीसगढ़ राज्य में लाख का 7160 टन उत्पादन हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य में लाख से सीड लाख, शैलाक, ब्लीच लाख तथा एल्यूमेटिक एसिड तैयार करने की अनेक प्रसंस्करण इकाईयाँ हैं। कई उद्यमी ऐसी इकाईयों से जुड़े हैं एवं राज्य के विकास में सहभागी है। अतः राज्य में लाख कृषकों को जागरूक करने एवं उन्हें सहयोग दिये जाने के साथ साथ लाख से जुड़े व्यापारियों, निर्माताओं एवं निर्यातकों को भी उचित सहयोग दिया जाना चाहिये। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए “लाख” के व्यापारियों, लाख उत्पाद के निर्माताओं एवं निर्यातकों का वार्षिक पंजीयन किया जाना है। उक्त पंजीयन के पश्चात् भविष्य में लाख के प्रसंस्करण, निर्यात एवं विपणन में आने वाली समस्याओं के उचित निराकरण का प्रयास किया जावेगा। अतः छत्तीसगढ़ राज्य के इच्छुक व्यापारी/निर्यातक/निर्माता नीचे दिये गये प्रपत्र में आवेदन पत्र मय रू. 100/- पंजीयन शुल्क जो कि प्रबन्ध संचालक लघु वनोपज संघ मर्यादित, रायपुर के नाम से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से रायपुर में देय हो, जमा कर सकते हैं। पंजीयन हेतु आवेदन पत्र संघ की उपरोक्त वेबसाईट से Down load करें।

अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें - कु. सोनल शर्मा (सीनियर एक्जीक्यूटिव - लाख)

दूरभाष :- 0771-4065100, 4065101, 4065102 फ़ैक्स 2283594

सही/-  
प्रबंध संचालक

**छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित**

ए-25, व्ही.आई.पी. इस्टेट, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) - 492 007

दूरभाष : (0771) 4065100, 4065101, 4065102 फैक्स : 2283594

वेब साईट - www.cgmfpfed.org ई-मेल :- cgmfpfed@sancharnet.in fed\_raipur@cgmfpfed.org

छत्तीसगढ़ के लाख निर्माता/व्यापारी/निर्यातक के पंजीयन हेतु  
आवेदन - पत्रपासपोर्ट आकार का  
फोटो चस्पा करें  
(लिमिटेड कम्पनी की  
दशा में किसी एक  
संचालक का) तथा  
भागीदारी फर्म की  
दशा में एक भागीदार  
का

प्रति,

प्रबंध संचालक,

छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर  
(छ.ग.)

महोदय,

मैं लाख उत्पादों के व्यापारी/निर्यातक/निर्माता के रूप में निम्न लिखित तथ्यों के आधार पर विज्ञापित उद्देश्य की पूर्ति हेतु पंजीयन कराने का इच्छुक हूँ :-

1.	आवेदक का नाम		
2.	आवेदक के पिता का नाम		
3.	संस्था का प्रकार (जो लागू हो उस पर ✓ निशान लगायें)	एकल/प्रोपाइटरी फर्म	
		भागीदारी फर्म (भागीदारी डीड संलग्न करें)	
		सहकारी संस्था (पंजीयन संलग्न करें)	
		संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार	
		कंपनी लिमि. (एम.ओ.यू संलग्न करें)	
4.	जिस व्यक्ति का फोटो चस्पा है उसका नाम		
5.	आवेदक के कार्यालय का पता		
	ई-मेल पता		
	दूरभाष	(लैन्डलाइन)	
		(मो.)	
	फैक्स		
6.	आवेदक के निवास का पता (कम्पनी की दशा में एक संचालक का, भागीदारी फर्म की दशा में एक भागीदार का तथा हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा में कर्ता का)		
		ई-मेल पता	
	दूरभाष	(लैन्डलाइन)	
		(मो.)	

7.	अन्य शाखा कार्यालयों का पता (यदि अन्य शाखाएं है ।)				
	ई-मेल पता				
	दूरभाष	(लैन्डलाइन)			
		(मो.)			
फैक्स					
8.	कैलेंडर वर्ष जिसके लिये पंजीयन आवेदित है				
9.	संस्था की स्थापना का वर्ष				
10.	यदि निर्माता है तो निम्न जानकारी दी जावे :-				
A.	यदि फर्म S.S.I पंजीकृत है, तो पंजीयन क्रमांक (कृपया स्व हस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करें ।)				
B.	उत्पाद का विवरण :-	वित्तीय वर्ष	उत्पाद का नाम	मात्रा (क्विंटल में )	अनुमानित मूल्य (रु.में)
		2006-07			
		2007-08			
		2008-09			
11.	यदि निर्यातक है तो निम्न जानकारी दी जावे :-				
A.	यदि फर्म IEC पंजीकृत है, तो पंजीयन क्रमांक (कृपया स्व हस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करें ।)				
B.	उत्पाद का विवरण :-	वित्तीय वर्ष	उत्पाद का नाम	निर्यात की गई मात्रा (क्विं. में)	अनुमानित मूल्य (रु.में)
		2006-07			
		2007-08			
		2008-09			
12.	यदि व्यापारी है तो निम्न जानकारी दी जावे :-				
	उत्पाद का विवरण :-	वित्तीय वर्ष	उत्पाद का नाम	मात्रा (क्विंटल में )	मूल्य (रु.में)
		2006-07			
		2007-08			
		2008-09			
13.	उद्यमी किस-किस श्रेणी में पंजीयन चाहते है:- (✓ निशान लगायें)	निर्माता			
		व्यापारी			
		निर्यातक			
14.	आयकर का PAN नम्बर (यदि आबंटित हो) :-				
15.	VAT का पंजीयन क्रमांक (यदि पंजीयन हो) :-				

16.	यदि आवेदक की लाख के कार्यक्षेत्र में किसी प्रकार की विशेषज्ञता हो तो उसका भी संक्षिप्त उल्लेख किया जाये ।
17.	पंजीयन शुल्क जमा करने का विवरण (राशि, बैंक डाफ्ट विवरण )

### घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतया सत्य है ।

\* पंजीकृत फर्म/उद्यमी के द्वारा किसी भी संस्था/फर्म को प्रदाय की गयी सेवा/उत्पाद के गुणवत्ता एवं अन्य मापदण्डों हेतु अथवा किसी भी तथ्य के लिये संघ उत्तरदायी नहीं होगा ।

कृपया उपरोक्त विवरण अनुसार पंजीयन करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम.....

पता.....